भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3976

उत्तर देने की तारीखः 25.03.2025

न्यायमूर्ति जी. रोहिणी आयोग की रिपोर्ट

3976. श्री माथेश्वरन वी. एस.:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या न्यायमूर्ति जी. रोहिणी आयोग ने ओबीसी के उप-वर्गीकरण पर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब प्रस्तुत किया गया था;

(ख) क्या सरकार ने न्यायमूर्ति जी. राहिणी आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है और इसे संसद के पटल पर प्रस्तुत नहीं किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) न्यायमूर्ति जी. रोहिणी आयोग की रिपोर्ट कितने समय से सरकार के विचाराधीन है और इसके लंबित रहने के क्या कारण हैं तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ड.) क्या सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना, 2011 को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण के लिए जातिगत आंकड़ों को न्यायमूर्ति जी. रोहिणी के नेतृत्व वाले आयोग के साथ साझा नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): न्यायमूर्ति जी. रोहिणी की अध्यक्षता में गठित अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण की जांच करने के लिए गठित आयोग ने 31 जुलाई, 2023 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है, जो इस विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ): उपरोक्त को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता है।

(ड.): इस विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण के लिए न्यायमूर्ति जी. रोहिणी के नेतृत्व वाले आयोग से सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना, 2011 से जातिगत आंकड़ों को साझा करने का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

*****